

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सैक्टर -6, नौएडा

पत्र संख्या / नौएडा / अ०मु०का०अ०(आर.के.एम.) / 18 / 157 / SPG
दिनांक : 5.4.18. (SPG)

कार्यालय आदेश

दिनांक 01.04.2018 से नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों के जल प्रभार निम्न प्रकार होंगे :-

बहुमंजिले आवासीय भवनों की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें।

क्र० सं०	भवनों का विवरण	01.07.2013 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	01.04.2018 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	वर्तमान कनेक्शन (राशि रू० में)	01.04.2018 से प्रभावी कनेक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्योरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)
1	श्रमिक कुँज	30.00	33.00	875.00	1400.00
2	निर्बल आय वर्ग	32.00	35.00	1750.00	2800.00
3	निम्न आय वर्ग	50.00	63.00	3000.00	4800.00
4	एम.आई.जी.	175.00	219.00	6800.00	10880.00
5	एच.आई.जी.	210.00	263.00	8000.00	12800.00
6	डूप्लेक्स	260.00	325.00	9200.00	14720.00

कम्प्यूटर प्रकृत
कार्य सं. 1086
दिनांक 9-4-18
नौएडा

आवासीय (सिंगल स्टोरी) आंबटित भवन एवं भूखण्ड की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें।

क्र. सं.	भवनों का विवरण	01.07.2013 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	01.04.2018 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	वर्तमान कनेक्शन (राशि रू० में)	01.04.2018 से प्रभावी कनेक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्योरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)
1	ग्रामवासी	50.00	55.00	750.00	1200.00
2	1-30	50.00	55.00	2250.00	3600.00
3	31-50	75.00	94.00	3000.00	4800.00
4	51-100	200.00	250.00	5000.00	8000.00
5	101-200	250.00	313.00	5500.00	8800.00
6	201-300	350.00	438.00	6000.00	9600.00
7	301-400	400.00	500.00	6200.00	9920.00
8	401-500	470.00	588.00	7400.00	11840.00
9	501-1000	525.00	656.00	8600.00	13760.00
10	बल्क संयोजन	6/- PKL	7.50/- PKL	-	-

M/s MKB

10/4/18

औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक सम्पतियों पर जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें।

वर्तमान में 1000 मीटर के कम के आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक प्लॉट्स को संयोजन उपभोक्ता द्वारा प्राधिकरण के सुपरविजन में किये जाते हैं। उक्त की भौति ही 1000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक सम्पतियों में भी जल/सीवर संयोजन आवेदक द्वारा कराने हेतु प्रावधान सुनिश्चित किया जाना उचित होगा जिससे संयोजन में अतिरिक्त समय नहीं लगे एवं जल राजस्व शीघ्र प्राप्त हो सके।

आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत/वाणिज्यिक सम्पतियों पर बल्क संयोजनों की दरें (1000 मीटर से अधिक)

क्र० सं०	जल संयोजन साइज	जल उत्सर्जन प्रतिदिन	आवासीय @ 7.50 per K L 30.42 day/ Months	औद्योगिक संस्थागत 1.25 x आवासीय per month	वाणिज्यिक 2.0 x आवासीय per month
1	100 mm	203.71 KL/days	Rs 1527.83 per day x 30.42 days = Rs 46476.44 per month Say Rs 46476.00	Rs. 58095.00	Rs 92952.00
2	150mm	458.36 KL/days	Rs 3437.70 per day x 30.42 days = Rs.104574.83 per month say Rs 104575.00	Rs. 130719.00	Rs. 209150.00
3	200 mm	814.86 KL/days	Rs 6111.45 per day x 30.42 days = Rs. 185910.31 per month Say Rs 185910.00	Rs. 232388.00	Rs. 371820.00
4	250 mm	1273.22 KL/days	Rs 9549.15 per day x 30.42 days = Rs 290485.14 per month say Rs 290485.00	Rs. 363106.00	Rs. 580970.00
5	300 mm	1833.43 KL/days	Rs 13750.73 per day x 30.42 days = Rs 418297.05 per month say Rs 418297.00	Rs. 522871.00	Rs. 836594.00
6	350 mm	2495.51 KL/days	Rs 18716.33 per day x 30.42 days = Rs 569350.61 per months say Rs 569351.00	Rs 711688.00	Rs. 1138701.00

औद्योगिक/संस्थागत सम्पतियों की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें
औद्योगिक/संस्थागत

क्र० सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल	01.07.2013 स्थाई जल दर प्रतिमाह	01.04.2018 से प्रभावी जल दर प्रतिमाह	01.07.2013 से लागू संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	01.04.2018 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह
1	0 to 30	130.00	163.00	3200.00	5100.00
2	31 to 50	130.00	163.00	3800.00	6100.00
3	51 to 100	250.00	313.00	6300.00	10100.00
4	101 to 200	320.00	400.00	6900.00	11000.00
5	201 to 300	440.00	550.00	7500.00	12000.00
6	301 to 400	500.00	625.00	7800.00	12500.00
7	401 to 500	590.00	738.00	9300.00	14900.00
8	501 to 1000	660.00	825.00	10800.00	17300.00

वाणिज्यिक सम्पतियों की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें
वाणिज्यिक

क्र० सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल	01.07.2013 से स्थाई जल दर प्रतिमाह	01.04.2018 से प्रभावी जल दर प्रतिमाह	01.07.2013 से लागू संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	01.04.2018 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह
1	0 to 30	180.00	225.00	5000.00	8000.00
2	31 to 50	180.00	225.00	6000.00	9600.00
3	51 to 100	400.00	500.00	10000.00	16000.00
4	101 to 200	500.00	625.00	11000.00	17600.00
5	201 to 300	700.00	875.00	12000.00	19000.00
6	301 to 400	800.00	1000.00	12400.00	19800.00
7	401 to 500	940.00	1175.00	14800.00	23700.00
8	501 to 1000	1050.00	1313.00	17200.00	27500.00

जल प्रभार राशि को जमा करवाने की अवधि।

वसूली प्रक्रिया	वार्षिक धनराशि की वर्तमान सीमा	वार्षिक धनराशि की 01.04.2018 से प्रभावी सीमा	प्रस्तावित छूट	
			10 प्रतिशत	5 प्रतिशत
1. वार्षिक	01 से 2400	01 से 6000	कम से कम 10 माह पूर्व जमा करने पर	कम से कम 6 माह पूर्व जमा करने पर
2. छमाही	2401 से 6000	6001 से 15000		
3. तिमाही	6001 से 15000	15001 से 38000		
4. मासिक	15001 से अधिक	38001 से अधिक		

अनाधिकृत कनेक्शनों को अधिकृत करने एवं अति देय राशि को वसूल करने हेतु।

वर्तमान में सभी प्रकार की सम्पतियों पर अनाधिकृत कनेक्शन को अधिकृत करने हेतु पैनाल्टी राशि 250 वर्गमीटर तक ₹0 4000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर ₹0 8000.00 तथा चार साल के वर्तमान जल दर अथवा कब्जे की तिथि से जल दर पर ब्याज सहित जो भी कम हो की राशि लेकर अधिकृत किया जाता है जिसमें कनेक्शन राशि, सिक्योरिटी तथा अनुरक्षण चार्जज भी लिये जाते हैं।

01.04.2018 से पैनाल्टी राशि सभी वर्ग की सम्पतियों पर 250 वर्गमीटर तक ₹0 4000.00 के स्थान पर ₹0 10000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर ₹0 8000.00 के स्थान पर ₹0 20000.00 देय होगी। तथा अनाधिकृत कनेक्शनों को अधिकृत करने के लिए चार साल की स्थाई जल दर के स्थान पर आवासीय भूखण्ड की दशा में अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जल दर ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि सहित तथा आवासीय भवन की दशा में बिजली के कनेक्शन की तिथि तथा औद्योगिक/व्यवसायिक/संस्थागत भवनों व भूखण्डों की दशा एस.एस.आई. (Small Scale Industries) की तिथि/प्राधिकरण द्वारा कार्यशील होने का प्रमाण पत्र की तिथि या अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जो भी पहले जारी हुआ है को आधार मानते हुए जल दर ब्याज सहित ली जायेगी। पैनाल्टी, कनेक्शन राशि तथा अनुरक्षण चार्जज कब्जे की तिथि से लिया जायेगा।

अदेय प्रमाण पत्र तथा नाम परिवर्तन हेतु शुल्क

	<u>वर्तमान में</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी दर</u>
आवासीय	500.00	1000.00
औद्योगिक/संस्थागत	1500.00	3000.00
वाणिज्यिक	1500.00	3000.00

सभी प्रकार के अस्थाई कनेक्शन को स्थाई करने हेतु शुल्क

<u>वर्तमान में</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी दर</u>
200.00	400.00

सभी सम्पत्तियों में अनुरक्षण शुल्क स्थाई जल प्रभार राशि का आधा होगा। अस्थाई जल दर एवं अस्थाई संयोजन शुल्क स्थाई प्रभार का सवा गुना होगा। सभी प्रकार की परिसम्पत्तियों पर 15 एमएम व्यास का दूसरा कनेक्शन लेने पर जल प्रभार पहले कनेक्शन 15 एमएम का सवा गुना होगा।

बल्क कनेक्शन की दरें

	<u>वर्तमान में स्थाई संयोजन दर</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी स्थाई संयोजन दर</u>
आवासीय	रु० 6.00 प्रति कि०ली०	रु० 7.50 प्रति कि०ली०
औद्योगिक/संस्थागत	रु० 7.50 प्रति कि०ली०	रु० 10.00 प्रति कि०ली०
वाणिज्यिक	रु० 12.00 प्रति कि०ली०	रु० 15.00 प्रति कि०ली०

बल्क कनेक्शन की दरें

	<u>वर्तमान में अस्थाई संयोजन दर</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी अस्थाई संयोजन दर</u>
आवासीय	रु० 7.50 प्रति कि०ली०	रु० 10.00 प्रति कि०ली०
औद्योगिक/संस्थागत	रु० 10.00 प्रति कि०ली०	रु० 12.50 प्रति कि०ली०
वाणिज्यिक	रु० 15.00 प्रति कि०ली०	रु० 18.75 प्रति कि०ली०

वाटर सेस आवासीय (भूखण्ड/भवन)

	<u>वर्तमान में</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी दरें</u>
15 एमएम	रु० 2.00 प्रतिमाह	रु० 3.00 प्रतिमाह
20 एमएम	रु० 4.00 प्रतिमाह	रु० 6.00 प्रतिमाह

वाटर सेस औद्योगिक/संस्थागत/वाणिज्यिक

	<u>वर्तमान में</u>	<u>01.04.2018 से प्रभावी दरें</u>
15 एमएम	10.00 प्रतिमाह	16.00 प्रतिमाह
20 एमएम	18.00 प्रतिमाह	29.00 प्रतिमाह
25 एमएम	25.00 प्रतिमाह	40.00 प्रतिमाह
32 एमएम	30.00 प्रतिमाह	48.00 प्रतिमाह
40 एमएम	70.00 प्रतिमाह	112.00 प्रतिमाह
50 एमएम	100.00 प्रतिमाह	160.00 प्रतिमाह
65 एमएम	180.00 प्रतिमाह	288.00 प्रतिमाह
80 एमएम	280.00 प्रतिमाह	448.00 प्रतिमाह
100 एमएम	450.00 प्रतिमाह	720.00 प्रतिमाह
125 एमएम	700.00 प्रतिमाह	1120.00 प्रतिमाह

वर्तमान में 15 एमएम से अधिक पानी कनेक्शन एवं 150 एमएम से अधिक सीवर कनेक्शन जारी करने पर उपभोक्ता से अतिरिक्त रूप में प्रशासनिक खर्च में निम्न प्रकार होंगे :-

पानी कनेक्शन का डायामिटर	वर्तमान में वसूल की जा रही राशि			01.04.2018 से प्रभावी राशि		
	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक
¾"	10000.00	20000.00	40000.00	16000.00	32000.00	64000.00
1"	20000.00	30000.00	50000.00	32000.00	48000.00	80000.00
1.5"	30000.00	40000.00	70000.00	48000.00	64000.00	112000.00
2"	50000.00	60000.00	90000.00	80000.00	96000.00	144000.00
2.5"	60000.00	80000.00	110000.00	96000.00	128000.00	176000.00
3"	80000.00	100000.00	140000.00	128000.00	160000.00	244000.00
3.5"	100000.00	120000.00	160000.00	160000.00	192000.00	256000.00
4"	120000.00	150000.00	200000.00	192000.00	240000.00	320000.00
5"	140000.00	170000.00	220000.00	224000.00	272000.00	352000.00
6"	160000.00	190000.00	240000.00	256000.00	304000.00	384000.00
7"	180000.00	210000.00	260000.00	288000.00	336000.00	416000.00
8"	200000.00	230000.00	280000.00	320000.00	368000.00	448000.00
9"	220000.00	250000.00	300000.00	352000.00	400000.00	480000.00
10"	240000.00	260000.00	320000.00	384000.00	416000.00	512000.00

सीवर कनेक्शन का व्यास	वर्तमान में वसूल की जा रही राशि			01.04.2018 से प्रभावी राशि		
	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक
200mm dia	30000.00	50000.00	70000.00	48000.00	80000.00	112000.00
250mm dia	50000.00	70000.00	100000.00	80000.00	112000.00	160000.00
300mm dia	70000.00	100000.00	140000.00	112000.00	160000.00	224000.00
400mm dia	90000.00	125000.00	170000.00	144000.00	200000.00	272000.00

गुप हाउसिंग में 100 एम.एम. व्यास तथा अधिक जल संयोजन चार्ज (प्रशासनिक चार्ज)

	पूर्व में स्वीकृत राशि	01.04.2018 से प्रभावी राशि
1 E.W.S/ LIG	रु० 5000 के स्थान पर	रु० 8000 प्रति फ्लेट
2 MIG/HIG/Duplex	रु० 10000 के स्थान पर	रु० 16000 प्रति फ्लेट
3 संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क	रु० 6000 के स्थान पर	रु० 9600 प्रति माह

(R.M. Charges)

उपरोक्त बिन्दु सं० 1 से 3 में जल संयोजन प्रशासनिक चार्ज एवं अनुरक्षण शुल्क एक बार ही लिये जाते हैं। संचालन एवं अनुरक्षण (Running & Maintenance Charges) कब्जा प्रमाण पत्र के माह से उपभोक्ता के जल संयोजन की तिथि तक लिया जाता है। जिन प्रकरणों में धनराशि जमा की गई है तथा संयोजन आदेश निर्गत नहीं हुआ है उनसे बढी दरों के अनुसार अवशेष राशि जमा कराने के उपरान्त संयोजन आदेश निर्गत किये जायेंगे।

प्राधिकरण से चालान प्राप्त न होने की दशा में आंबटी/उपभोक्ता सम्बन्धित बैंक में उपलब्ध चालान में धनराशि भरकर स्वयं जमा करायेगें अथवा आन लाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

(आर. के. मिश्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.के.एम.)
नौएडा

प्रतिलिपि:

- 1 स्टाफ आफिसर को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2 निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए.के.) के सूचनार्थ।
- 3 विशेष कार्याधिकारी (आर) नौएडा।
- 4 वित्त नियन्त्रक नौएडा।
- 5 मुख्य अभियन्ता (जल/सिविल)
- 6 सहायक महा प्रबन्धक (सिस्टम) नौएडा को प्राधिकरण की वेबसाइट में संशोधन करने हेतु।
- 7 अध्यक्ष/महासचिव फौनरवा सैक्टर 52 नौएडा।
- 8 अध्यक्ष/महासचिव नौएडा इण्टरपिनियोर्स एसोसिएशन।
- 9 समस्त आर.डब्ल्यू.ए. नौएडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.के.एम.)
नौएडा